न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 17/2021

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1उजिया कंवर पत्नी दीपसिंह 2उम्मेद सिंह पुत्र कुशाल सिंह 3बाबू सिंह पुत्र कुशाल सिंह जातियान राजपुरोहित निवासीगण नारवाखुर्द तहसील खींवसर जिला नागौर।		नायब तहसीलदार खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:14.10.2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 73/2021 सरकार बनाम उजिया कंवर में निर्णय दिनांक 22.04.2021 के तहत मौजा नारवाखुर्द की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.06.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 23.06.2021 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार खींवसर के निर्णय दिनांक 22.04.21 की फोटोप्रति, मौजा नारवाखुर्द के संवत 2077 की जमाबंदी की फोटोप्रति, लिखत की फोटोप्रति तथा बिजली बिल की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा 19.04.2021 को राज्य व्यापी तालाबंदी कर दी गई थी। इस तालाबंदी के चलते अपीलांटस घरो मे बंद हो गये तथा यातायात के साधन बंद होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपीलांटस द्वारा समय भीतर अपील प्रस्तुत नही की जा सकी। अब 2 जून 2021 से तालाबंदी मे छूट होने पर अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया गया। जिसकी नकल दिनांक 04.06.21 को प्राप्त हुई। 05 तथा 06 जून को अवकाश होने से अपील दिनांक 09.06.21 को अपील प्रस्तुत की गई। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–गांव नारवाखुर्द के खसरा नं. 344 व 344/1 की भूमि पर अपीलांटस का अतिक्रमण बताकर बेदखल करने का भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत दिया गया नोटिस बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)–खसरा सं. 344 व 344/1 की भूमि खातेदारी की भूमि है तथा खातेदारी की भूमि पर से बेदखल करने की कार्यवाही भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत आरंभ नही की जा सकती है और न ही धारा 91 के अन्तर्गत ऐसी सुनवाई करके बेदखली का आदेश दिया जा सकता है। इसलिये अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–खसरा सं. 344 व 344/1 की भूमि सरकारी भूमि नही है और न ही धारा 91 मे परिभाषित भूमि की श्रेणी मे आती है।

{2}(V)–धारा 91 मे किसी खातेदारी की भूमि से बेदखली करने का अधिकार तहसीलदार व नायब तहसीलदार को नही दिया गया है। खातेदारी की भूमि से बेदखल करने का अधिकार सहायक जिलाधीश को दिया गया है तथा इसकी कार्यवाही का प्रावधान धारा 183 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया है। इसलिये नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही व पारित अपीलाधीन आदेश प्रारंभ से ही अवैध व शून्य होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–खसरा सं. 344 व 344/1 के पूर्व खातेदार गणपतदास से अपीलांटस के पिता कुशालसिंह ने अपनी खातेदारी भूमि के एवज मे गांव वालो की सहमति से संवत 2022 मे भूमि ली थी और संवत 2022 से इस भूमि पर अपीलांटस की खातेदारी एवं कब्जा चला आ रहा है। अपीलांटस के पिता द्वारा इस भूमि के बदले जो भूमि मंदिर को दी गई। वह भूमि आज दिन तक मंदिर व पुजारी द्वारा काश्त की जा रही है। खसरा सं. 344 व 344/1 की भूमि अपीलांटस की खातेदारी व कब्जे की संवत 2022 से चली आ रही है लेकिन राजस्व रेकर्ड मे वर्तमान मे यह भूमि मंदिर के नाम दर्ज है। मंदिर की भूमियो के संबंध मे धारा 91 की कार्यवाही करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है।

{2}(VII)–अपीलांटस खसरा सं 344 व 344/1 की भूमि पर अतिक्रमी नही है। अपितु इस भूमि की एवज मे अपीलांटस के पिता के द्वारा अपने खातेदारी की भूमि दी गई थी। अपीलांटस का कब्जा वैध कब्जा है और अतिक्रमण की श्रेणी मे नही आता है।

{2}(VIII)–अपीलांटस का वादग्रस्त भूमि पर निरंतर पचपन साल से कब्जा है और पिछले तीस सालो से भी अधिक समय से तीनो अपीलांटस के तीन अलग अलग रहवासी मकान लाखो रू. खर्च कर बनाये गये है तथा लाखो रू. करके ही अपीलांटस ने इस भूमि को उपजाऊ बनाया है। तीनो ही अपीलांटस का अलग अलग रहवास व निवास है तथा इन मकानो पर सन 2001 से विद्युत कनेक्शन अपीलांट के पिता कुशालसिंह के नाम से लिया हुआ है। अपीलांट उम्मेदसिंह पर नोटिस की सम्यक तामील नही है और न ही अपीलांट उम्मेदसिंह को कभी नोटिस की प्राप्ति हुई। उम्मेदसिंह व बाबूसिंह दोनो ही अलग अलग रहवास व निवास करते है। ऐसी स्थिति मे बाबूसिंह द्वारा नोटिस का प्राप्त करना समुचित सम्यक व प्रभावी तामील नही मानी जा सकती। अपीलांट उम्मेदसिंह के विरूद्व कभी भी इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित नही किये गये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्व होने से अपास्त योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2005(1) पेज 253 से 255 नजीर पेश की है।

{2}(IX)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान नही किया। इसलिये सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

{2}(X)–अधीनस्थ न्यायालय ने डी बी सिविल स्पेशल अपील 185/2001 मे पारित निर्णय को इस प्रकरण पर लागू करने और आरआरसी 2005(1) पृष्ठ सं. 253 को नही मानने मे कानूनी गलती की है।

{2}(XI)–केवल खातेदार द्वारा विधि के सही प्रावधानो के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय मे बेदखली की कार्यवाही करने पर ही कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकरण मे धारा 91 के प्रावधान लागू नही होते और न ही नायब तहसीलदार कार्यवाही व निर्णय करने मे सक्षम थे।

{2}(XII)–इस प्रकरण का निस्तारण धारा 91 जैसी संक्षिप्त प्रक्रिया जैसी कार्यवाही से नही किया जा सकता था अपितु नियमित वाद से ही ऐसे अधिकारो का निपटारा व निस्तारण किया जा सकता है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा नारवाखुर्द में स्थित राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अपीलांटस के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है।

अपर कलक्टर, नागौर

अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नारवाखुर्द की राजकीय भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर